

From No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 26)

साकिर बनाम इस्लाम वगै०

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज
 प्रार्थना पत्र -212 संख्या 361 वर्ष 2019

19/12/19

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तारीख में
 जारी हुए :-

आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। एक पक्षीय उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं प्रार्थी का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।


अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 24.01.2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्ररोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 122/0.18, 257/0.09, 478/0.15, 482/0.16, 502/0.03, 503/0.49, 886/122/0.18 है० वाके ग्राम खोहरीकलां पर विशिष्ट भू-भाग का बेचान न करें।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जयें अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो० रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

01/12/20 पत्रावली पेश हुई। बगुलाय फरीकैम उपस्थित प्रार्थीगणुखार वासी... मुलावा... साकिर के पूर्व में जासी ता अवधी जागी भी वाद पेशीत... दिनांक 6/12/20 को पेश हो। कोई उज्र है

02/12/20 पत्रावली आज मूलवाद के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय कार्यवाही 350/1 काडी का वाद वाके प्रार्थी साकिर पत्र पर स्वारिज हो उक्त है अल। अह प्रार्थना पत्र भी स्वारिज कि जा जाये पत्रावली के साथ सुमार लेकर वाद एकमील वगै० मूलवाद हो।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

03/12/20 गह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 0.18 है०, 257 रकबा 0.03 है०